न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1165/2026
रामाधार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[आंदर थाना कांड संख्या 117/2026]
आदेश

19.06.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. रामाधार यादव, 2. रामबेलाश यादव, 3. अर्जुन यादव, 4. हरेश यादव एवं 5. योगेन्द्र यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1165/2026, आंदर थाना कांड संख्या 117/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 74, 352, 351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप कुमार ठाकुर एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 27.03.2026 समय करीब 06:30 बजे सुबह में सूचिका अपने खेत में घुमने अपने पति के साथ गई थी तो देखी कि उनका जमीन जिसका खाता नं0 9 एवं 39 सर्वे नं0 155 एवं 158ए 132 करीब 1 बिगहा 10 कट्ठा भूमि जिस पर सरसों का फसल लगा था। सूचिका के ही गांव के दबंग लोग रामाधार यादव, रामबेलास यादव, अर्जुन यादव, मनीष यादव, योगेन्द्र यादव एवं हरेश यादव सभी हरवे–हथियार के साथ फसल काट रहे थे जब सूचिका मना की तो वे लोग सूचिका और उनके पति के साथ मारपीट करने लगे। रामाधार यादव अपने हाथ में लिए लाठी से मारने लगे जो सूचिका के हाथ, पीठ और कंधे पर लगा। जब हल्ला हुआ तो सूचिका को बचाने उनका पोता रोशन यादव, युवराज यादव और भतीजा दिनेश यादव बचाने के लिए आए तो रामाधार यादव ने बोला की सभी को जान से मार दो और सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए तो ये लोग जान बचाकर थाना पहुंचे उसके बाद सूचिका की चचेरी बहू प्रीति देवी एवं चचेरी पोती संजुला कुमारी घर पर अकेली थी। उक्त लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। जब प्रीति देवी विरोध की तो सूचिका को अर्जुन यादव ने पकड़कर कमरे में ले जाने लगे और मनीष यादव ने प्रीति देवी का साड़ी खोल दिया तथा प्रीति देवी के स्तन को मसलने लगे। तब प्रीति देवी चिल्लाई तो प्रीति देवी के ननद संजुला कुमारी आई तो उपरोक्त लोग काफी आक्रोशित हो गए और बोले कि दोनों का हमलोग बलात्कार करेंगे। अर्जुन यादव अपने हाथ में लिए लाठी से जान से मारने की नियत से प्रीति देवी पर हमला किए जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुनः हरेश यादव ने प्रीति देवी का साया का नारा खोल दिए तथा पैरों को पकड़ने लगे। प्रीति देवी ने अपनी ईज्जत बचाकर घर से भागी।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया है कि सूचिका ललिता देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवेदक योगेन्द्र यादव के खिलाफ पूर्व से दो मामले पंजीकृत है जबकि अन्य आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से तीन मामले पंजीकृत है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण को झूठे तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और मनगढंत है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाई गई आरोप की धारा– 109, 74 भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर सभी जमानतीय है। प्रस्तुत मामले का पलाटावाद आंदर थाना कांड संख्या 118/2026 पंजीकृत है। आवेदकगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-1165/2026
रामाधार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[आंदर थाना कांड संख्या 117/2026]

19.06.2026
लगातार

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी आंदर थाना कांड संख्या 117/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 74, 352, 351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों को लाठी से मारपीट करने एवं सूचिका के परिवार के सदस्यों का लज्जा भंग करने और उनके साथ बलात्कार करने की धमकी देने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 2 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 7 एवं 8 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 41 जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन से संबंधित है जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्मी ललीता देवी के सीने की हड्डी टूटा हुआ पाया गया है जो गंभीर प्रकृति का जख्म है एवं अन्य सभी जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 34 के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से तीन मामले पंजीकृत है जबकि जमानत आवेदन के अनुसार योगेन्द्र यादव के खिलाफ पूर्व से दो मामले पंजीकृत है एवं अन्य आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से तीन मामले पंजीकृत है। आवेदकगण के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति व उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. रामाधार यादव, 2. रामबेलाश यादव, 3. अर्जुन यादव, 4. हरेश यादव एवं 5. योगेन्द्र यादव** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 02.05.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 19.06.2026

Date of Order/Judgment	19.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	19.06.2026
Uploading Date	23.06.2026
Uploaded By	RAVI KANT

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>

<u>A.B.P. No.-1165/2026</u>

रामाधार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

[आंदर थाना कांड संख्या 117/2026]